मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में नई तांबा खदानें

430. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ग्राम कोचेवाटी बुदबुदा में नई खदान की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोचेवाटी बुदबुदा क्षेत्र में उत्खनन के कारण कौन-कौन से गांवों के प्रभावित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या कोचेवाटी बुदबुदा तांबा खदानों से प्रभावित होने वाले ग्रामों का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमति राम दुलारी सिन्हा): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1984 में शेरपरट्टोला से 500 मीटर उत्तर में बुदबुदा के आस-पास के क्षेत्र का अध्ययन किया था लेकिन वहां किसी बड़े या छोटे तांबा खनिजीकरण के होने का कोई संकेत नहीं मिला ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

एच.एस.सी.एल. को बंद किया जाना

431. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) को बंद करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) एच.एस.सी.एल. के बंद होने के परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारियों और श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ग्वालियर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना

432. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री 17 मई, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 265 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनिजों पर रायल्टी की दरों का पुनर्निर्धारण

433. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिजों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद खनिजों पर रायल्टी की दरों में नियमानुसार अपेक्षित वृद्धि अभी तक नहीं की गई जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) रायल्टी की दरों का पुनर्निर्धारण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) और (ख) प्रधान